राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 2 (क) (विविध) अलेसे–।/1497 दिनांकः– 30/03/2022

परिपत्र

प्रसंगः– निदेशालय का परिपत्र एफ. 2 (क) (K-280) अलेसे–।/1090 दिनांक 31.07.2020

उपर्युक्त प्रासंगिक परिपत्र द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से यह निवेदन किया गया था कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को अतिरिक्त कार्यभार हेतु प्रस्ताव इस निदेशालय को ही प्रेषित किये जावें तथा केवल अपरिहार्य स्थिति में ही राज. सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार ही स्वयं के पद के अलावा अन्य रिक्त पद जो कार्मिक के पदस्थापन मुख्यालय पर ही स्थित हों का अतिरिक्त कार्यभार का आदेश नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी कर आदेश का अनुमोदन निदेशक, कोष एवं लेखा से करवाया जावे।

परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को उनके पदस्थापन कार्यालय के संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध अथवा अक्षम स्तर से स्वयं के पद के कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यालय में अधीनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार आवंटित किया जाकर आदेश का अनुमोदन करवाने हेतु प्रकरण निदेशालय में भिजवाये जाते हैं। अनेक प्रकरण ऐसे भी प्रकाश में आते हैं जो सक्षम स्तर से आदेश जारी होने के बावजूद भी नियमानुसार इस निदेशालय को सूचित नहीं किया जाता है, जो कि राजस्थान सेवा नियमों के पूर्णतः विपरीत है। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर ऐसे आदेश भी जारी किये जाते हैं, जिसमें लेखाकर्मी को स्वयं के पद के कार्य के अतिरिक्त मुख्यालय से बाहर, लम्बी दूरी के, भिन्न–भिन्न कार्यालयों में, रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्य सप्ताह में निर्धारित दिन/अवधि विशेष की बाध्यता की शर्त के साथ भी दे दिया जाता है, जो कि अव्यावहारिक एवं अनौचित्यपूर्ण तो होता ही हैं अपितु इसके परिणामस्वरूप लेखाकर्मी समस्याग्रस्त होते हैं एवं इस निदेशालय को हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना राज्यहित एवं कार्मिक के हित में उचित नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लेखाकर्मियों को अतिरिक्त कार्य का आवंटन राज. सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, फलस्वरूप ऐसे प्रकरणों में निदेशालय स्तर से अतिरिक्त कार्यभत्ता नियमानुसार स्वीकृत नहीं हो पाता है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 के संदर्भ में सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों का ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि राजस्थान सेवा नियम खण्ड II के परिशिष्ठ IX के क्रम संख्या 15 के अनुसार "**समस्त विभागाध्यक्षों (प्रथम श्रेणी) को शक्तियां इस शर्त के साथ प्रदत्त की गई है कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के आदेशों की प्रति के साथ नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को सूचित करेगा।**"

अतः समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से पुनः यह निवेदन है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को अतिरिक्त कार्यभार के प्रस्ताव इस निदेशालय को ही प्रेषित किये जावें तथा केवल अपरिहार्य स्थिति में ही राज. सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार ही स्वयं के पद के अलावा अन्य रिक्त पद जो कार्मिक के पदस्थापन मुख्यालय पर ही स्थित हो का अतिरिक्त कार्यभार का आदेश नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी कर आदेश का अनुमोदन निदेशक, कोष एवं लेखा से अवश्य करावें।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ. 2 (क) (विविध) अलेसे–।/1497 दिनांकः– 30/03/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
3. समस्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।/कनिष्ठ लेखाकार।
4. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय
6. रक्षित पत्रावली।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–।)